

अधिसूचना

17 जुलाई, 2017 ई0

सं० F-9(25)(II)/RG/UERC/2017/637-विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 61 सपठित धारा 181 के अधीन प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त सामर्थ्यकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात् उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय शुल्क के अवधारण हेतु निबंधन और शर्तों) विनियम, 2015 (मुख्य विनियम) में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

- (1) इन विनियमों का नाम उविनिआ (बहुवर्षीय शुल्क के अवधारण हेतु निबंधन और शर्तों) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2017 होगा।
- (2) ये विनियम 01.04.2017 से प्रवृत्त होंगे।

2. मुख्य विनियम के विनियम 48 (1) में संशोधन:

मुख्य विनियम के नियम 49 की धारा 2 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा: अर्थात् :-

"कलेंडर मास के लिए थर्मल उत्पादन केन्द्र को संदेय क्षमता प्रभार की संगणना निम्नलिखित सूत्रों के अनुसार की जायेगी:

$$CC_1 = (AFC/12) (PAF_1 / NAPAF); (AFC/12) \text{ की अधिकतमक सीमा के अध्यधीन}$$

$$CC_2 = (AFC/6) (PAF_2 / NAPAF); ((AFC/6) - CC_1) \text{ की अधिकतमक सीमा के अध्यधीन}$$

$$CC_3 = (AFC/4) (PAF_3 / NAPAF); ((AFC/4) - (CC_1 + CC_2)) \text{ की अधिकतमक सीमा के अध्यधीन}$$

$$CC_4 = (AFC/3) (PAF_4 / NAPAF); ((AFC/3) - (CC_1 + CC_2 + CC_3)) \text{ की अधिकतमक सीमा के अध्यधीन}$$

$$CC_5 = (AFC \times 5/12) (PAF_5 / NAPAF); ((AFC \times 5/12) - (CC_1 + CC_2 + CC_3 + CC_4)) \text{ की अधिकतमक सीमा के अध्यधीन}$$

$$CC_6 = (AFC/2) (PAF_6 / NAPAF); ((AFC/2) - (CC_1 + CC_2 + CC_3 + CC_4 + CC_5)) \text{ की अधिकतमक सीमा के अध्यधीन}$$

$$CC_7 = (AFC \times 7/12) (PAF_7 / NAPAF); ((AFC \times 7/12) - (CC_1 + CC_2 + CC_3 + CC_4 + CC_5 + CC_6)) \text{ की अधिकतमक सीमा के अध्यधीन}$$

$$CC_8 = (AFC \times 2/3) (PAF_8 / NAPAF); ((AFC \times 2/3) - (CC_1 + CC_2 + CC_3 + CC_4 + CC_5 + CC_6 + CC_7)) \text{ की अधिकतमक सीमा के अध्यधीन}$$

$$CC_9 = (AFC \times 3/4) (PAF_9 / NAPAF); ((AFC \times 3/4) - (CC_1 + CC_2 + CC_3 + CC_4 + CC_5 + CC_6 + CC_7 + CC_8)) \text{ की अधिकतमक सीमा के अध्यधीन}$$

$$CC_{10} = (AFC \times 5/6) (PAF_{10} / NAPAF); ((AFC \times 5/6) - (CC_1 + CC_2 + CC_3 + CC_4 + CC_5 + CC_6 + CC_7 + CC_8 + CC_9)) \text{ की अधिकतमक सीमा के अध्यधीन}$$

$$CC_{11} = (AFC \times 11/12) (PAF_{11} / NAPAF); ((AFC \times 11/12) - (CC_1 + CC_2 + CC_3 + CC_4 + CC_5 + CC_6 + CC_7 + CC_8 + CC_9 + CC_{10})) \text{ की अधिकतमक सीमा के अध्यधीन}$$

$$CC_{12} = (AFC) (PAF_Y / NAPAF); ((AFC) - (CC_1 + CC_2 + CC_3 + CC_4 + CC_5 + CC_6 + CC_7 + CC_8 + CC_9 + CC_{10} + CC_{11})) \text{ की अधिकतमक सीमा के अध्यधीन}$$

परन्तु यह कि यथास्थिति उत्पादक केन्द्र या उसकी इकाई या पारेषण प्रणाली या उसके किसी अल्पघटक के मामले में नवीनकरण एवं आधुनिकीकरण के कारण बन्द होने की स्थिति में उत्पादन कम्पनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी को एएफसी के एक भाग की वसूली करने की अनुमति होगी जिसमें ओएण्डएम व्यय तथा केवल ऋण पर ब्याज शामिल होगा।

जहाँ,

AFC = वर्ष के लिए विनिर्दिष्ट वार्षिक नियत लागत। (रूपयों में)

$NAPAF$ = प्रतिशतता में मानकीय वार्षिक संयंत्र उपलब्धता कारक।

PAF_N = किसी मास के अन्त तक प्राप्त संयंत्र उपलब्धता कारक, (प्रतिशत में)।

PAF_Y = वर्ष के दौरान प्राप्त प्रतिशत संयंत्र उपलब्धता कारक।

$CC_1, CC_2, CC_3, CC_4, CC_5, CC_6, CC_7, CC_8, CC_9, CC_{10}, CC_{11}$ और CC_{12} क्रमशः 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th और 12th मास के क्षमता प्रभार है।”

आयोग के आदेश से,

नीरज सती,

सचिव।